Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VIII, Issue-III September 2022

मानव तस्करी एक सामाजिक समस्या: एक विधिक अध्ययन

जितेन्द्र सिंह महदौरिया*
डॉ. राम शंकर**

सारांश

मानव समाज में बच्चे और महिलाएं समाज के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। बच्चे और महिलाओं के बिना किसी देश, समाज और परिवार का विकास होना संभव नहीं है अर्थात किसी भी देश समाज व परिवार के विकास के लिए बच्चे, महिलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार एक घर चलाने के लिए महिला का होना अति आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार देश, समाज व परिवार का विकास करने के लिए बच्चों, महिलाओं का होना अति आवश्यक है। हालांकि बच्चों व महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यापार, यौन अपराध जैसे प्रकृति के विरुद्ध जघन्य अपराध देखने को मिलते हैं।

यदि हम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में बच्चों, महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करें, तो उनकी स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। उनके साथ अन्याय, अत्याचार व दुर्व्यापार हमेशा होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। जिनमें बच्चों व महिलाओं की मानव तस्करी भी शामिल है।

बीज शब्द:- अपराध, मानव तस्करी, विधिक उपबन्ध

परिचय

मानव तस्करी की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है। मानव तस्करी करना एक मानव के विरुद्ध अपराध है। मानव तस्करी महिलाओं और बच्चों का व्यापार है। जिसमें मानव को खरीदा और बेचा जाता है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना आवश्यक हो। मानव तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की आवश्यकता भी नहीं होती बल्कि मानव तस्करी राष्ट्रीय स्तर पर या एक समुदाय के भीतर भी हो सकता है। मानव तस्कर मानव को खरीदने के बाद उसका उपयोग अपने तरीके से करता है। मानव तस्करी का जाल पूरे विश्व में फैला हुआ है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें शोषण के लिए महिलाओं, बच्चों को खरीदा व बेचा जाता है। खरीदने के बाद उन्हें अन्य राज्यों या देशों में भेज दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को बलपूर्वक प्रयोग कर रखना, उसे डरा कर रखना, धोखा देकर रखना, हिंसा जैसे तरीके से भर्ती करना या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार कराना, घरेलू कामकाज कराना, गुलामी कराना, दास बनाकर रखना इत्यादि कार्य पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी एक सबसे नवीनतम अपराध है। यह अपराध देश के लगभग हर कोने में बहुत तेजी से एक महामारी की तरह फैल रहा है। जब एक अपराधी (मानव तस्कर) एक मानव को अर्थात् पीड़ित को गुलामी करने के लिए वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए, यौन क्रियाओं में लगाने के लिए, भीख मांगने के लिए, दास बनाने के लिए, गुलामी कराने के लिए नियुक्त किया जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया जाता है, मानव तस्करी कहलाती है।

---

* बी.एससी., एम.ए., एलएल.एम., पी.जी.डी.सी.ए., एमपी सेट

** सहायक प्राध्यापक (विधि) विधि अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)

मानव तस्करी क्या है?

मानव तस्करी भी एक अपराध है। जिसमें मानव को खरीदा और बेचा जाता है। उसके बाद खरीदने वाला तस्कर खरीदे जाने के बाद बच्चों का उपयोग बाल मजदूरी कराने, बच्चों से भीख मांगने, बंधुआ मजदूरी कराने, बच्चों को दास बनाकर रखना, बच्चों से बेगारी कराना, बच्चों को डराकर रखना, बच्चों से गुलामी कराना, बच्चों को बंधक बनाकर रखना, बच्चों के अंगों की तस्करी करना, बच्चों से उनकी इच्छा के विरूद्ध कार्य कराना, बच्चों को भय में रखना, महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करना, महिलाओं से यौनाचार करवाना। जबरदश्ती किसी अन्य के साथ शादी कराना या उनकी इच्छा के विरूद्ध कार्य करवाना आदि शामिल हैं।

मानव तस्करी करने के प्रकार

1. **लालच देकर बच्चों को ले जाना-** मानव तस्करी करने वाले व्यक्ति बच्चों के माता-पिता या संरक्षक की सहमति के बिना उन्हें लालच देकर उनके माता-पिता या संरक्षक की संरक्षकता से अलग कर देते हैं। उसके बाद इन बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं। बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, बच्चों से घरेलू कामकाज करवाते हैं, बच्चों को दास बनाकर रखते हैं, बच्चों से ड्रग विक्रय कराते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं अर्थात बच्चों की इच्छा के विरुद्ध काम करवाते हैं।

   जैसे- मानव तस्कर एक बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर पकड़ लेता है। उसके बाद उसे चॉकलेट देकर ट्रॉली बैग में रख लेता है। उसके बाद उसे लेकर चल देता है तभी रास्ते में एक महिला दूध लेकर निकलती है और उसे उस बैग से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह महिला शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेती है लेकिन यह मानव तस्कर उस बैग में अपने कपड़े बताता है और उस बैग से हाथ नहीं लगाने देता है। तभी वहां एकत्रित व्यक्ति उस बैग को खोलकर चेक करते हैं। तभी उस बैग में एक बच्ची मिलती है जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष होती। तब उस मानव तस्कर से पूछा जाता है कि ऐसे बच्चों को कहां ले जाते हो, तो वह कहता है कि जिनके बच्चे नहीं होते है उनको बेच देते हैं। मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूं बच्चों को ही बेचता हूं।[1]

2. **जबरदश्ती वेश्यावृत्ति करवाना-** महिलाओं की तस्करी करने वाले मानव तस्कर महिलाओं की तस्करी करने के बाद महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। अश्लील कार्य करवाते हैं अर्थात महिलाओं की तस्करी देह व्यापार करवाने के लिए ही की जाती है।

3. **जबरदश्ती विवाह करना-** कम उम्र की बच्चियों की तस्करी कर उनके साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता है। ऐसी बच्चियों की तस्करी किसी ऐसे व्यक्तियों के साथ की जाती है। जिनकी समाज में साख कम होने से विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे लोग उन बच्चियों को ऐसे मानव तस्करों से खरीद लेते हैं। ऐसी बच्चियां वे होती हैं जो अपने माता-पिता से किसी कारण से नाराज होकर घर छोड़कर किसी ट्रेन में बैठ कर चली जाती हैं और किसी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े स्टेशनों पर उतर जाती है। वहां उनकी मुलाकात किसी अनजान मानव तस्कर से हो जाती है जो उनको किसी बहाने से ले जाते हैं और उनकी मानव तस्करी करके किसी अन्य लोगों को बेच देते हैं।

4. **अंग व्यापार के लिए मानव तस्करी-** अंगों की तस्करी मानव तस्करी का एक प्रकार है। अंगों की तस्करी अधिकतर अस्पतालों में की जाती है। जब मरीज अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाता है। तब डॉक्टर उसे गलत सलाह देता है कि आपकी किडनी या गुर्दा खराब हो गया है। इसको निकलवाना जरूरी है। यदि नहीं निकलवाया गया तो आपकी जान तक भी जा सकती है। इस डर के कारण मरीज उस किडनी या गुर्दे को निकलवाने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ व्यक्ति अत्यधिक गरीबी के कारण अपने अंग को बेच देते हैं। कुछ अस्पतालों में तो मरीज को पता तक नहीं चलता और उसकी किडनी या गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। उस मरीज को इसकी जानकारी तब पता चलती है, जब वह किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है और चिकित्सीय उपचार के लिए जाता है। तब

[1] यह जानकारी यूटयूब वीडियो से ली गई हैं।

उसे अस्पताल के डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आपने तो एक किडनी या गुर्दा निकलवा दिया है। तब उसे इस बात की जानकारी का पता चलता है कि मेरी तो एक किडनी या गुर्दा नहीं है। अंगों की तस्करी में अक्सर गुर्दे की मांग ज्यादा की जाती है। अंगों की तस्करी में कई व्यक्ति शामिल होते हैं-

i. भर्ती करने वाला
ii. अस्पताल का कर्मचारी
iii. ठेकेदार या बिचोलिया
iv. खरीदने वाला

5. **श्रम करवाने के लिए मानव तस्करी-** कुछ मानव तस्कर बच्चों की तस्करी श्रम करवाने के लिए करते हैं। जिनमें निम्नलिखित शामिल है जैसे बाल मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, घरेलू काम करवाना, दास बना कर रखना, कृषि कार्य करवाना इत्यादि श्रम तस्करी के अंतर्गत आते हैं।

काम दिलाने के बहाने झारखंड की 5 लड़कियां शिवपुरी लाकर बेची- झारखंड की पांच लड़कियों को शिवपुरी में लाकर बेचने का मामला सामने आया है। इन लड़कियों को काम दिलाने के बहाने झारखंड से लाया गया था। बेची गई लड़कियों में एक नाबालिग है। झारखंड पुलिस ने शिवपुरी पुलिस की मदद से नाबालिग लड़की सहित तीन लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। एक लड़की शिवपुरी के सुभाषपुरा क्षेत्र से बरामद हुई। दूसरी नाबालिग लड़की राजस्थान के सवाई माधोपुर और तीसरी लड़की राजस्थान के ही झालावाड़ से बरामद हुई है। दो अन्य लड़कियों की तलाश जारी है। इस मामले में एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में मंटू गोस्वामी पुत्र स्व० श्री जगनी गोस्वामी निवासी बड़ौदी सहयोगी पप्पू पुत्र बाबू परिहार निवासी ग्राम गोंदा तहसील बैराड़, कुबेर परिहार, मकड़ी राठौर बालेश्वर मुंडा शामिल है जबकि कमर सिंह परिहार और झारखंड का राजू फरार है।

बरामद लड़कियों में 17 साल की नाबालिग बैराड़ की रहने वाली 40 साल की महिला ने 90,000 रुपये में खरीदा था जबकि कलोथरा सुभाषपुरा के युवक ने दुल्हन की चाह में दूसरी लड़की को रुपये 60,000 में और राजस्थान के झालावाड़ के व्यक्ति ने 1,00,000 रुपये में तीसरी लड़की को खरीदा था। लड़कियों की तस्करी करने वाला झारखंड का तस्कर बलेश्वर मुंडा और शिवपुरी में खरीद-फरोख्त करने वाला बडौदी का मंटू गोस्वामी और पप्पू परिहार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इन तीनों की निशानदेही पर एक-एक कर तीनों लड़कियां बरामद कर ली गई है।[2]

नाबालिग से सवाई माधोपुर में कराई गई वेश्यावृत्ति, झालावाड़ में बिकी युवती का हो रहा था शारीरिक शोषण- झारखंड से गरीब परिवार की पांच लड़कियों को चूड़ी फैक्ट्री में काम दिलाने के बहाने शिवपुरी लाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग को बैराड़ की महिला ने 90,000 रुपये में खरीदकर उसे सवाई माधोपुर में अपनी बेटी के पास भेज दिया था। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में जिस लड़की को रुपये 1,00,000 में राकेश मीणा खरीद कर ले गया था। उससे गृहस्थी का काम तो कराया ही जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि परिवार के तीन-चार पुरुष लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। झारखंड की भरशिमला थाना पुलिस गुरुवार की शाम को ही तीनों लड़कियों को अपने संग ले गई। इसके अलावा लड़कियों की खरीद-फरोख्त में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार करके ले जाया गया है। अभी दो और लड़कियां गायब हैं। गरीब परिवारों की पांच लड़कियों को रोजगार दिलाने के बहाने शिवपुरी में बेचने की शिकायत आई थी। कोतवाली थाने से 2 एसआई झारखंड भेज कर वहां के संबंधित थाने से संपर्क किया। फिर संयुक्त टीम बनाकर तीन लड़कियां बरामद कर ली गई हैं अभी दो की और तलाशी चल रही है।[3]

---

[2] दैनिक भास्कर समाचार- पत्र ,ग्वालियर, शुक्रवार, दिनांक 14-01-2022 पेज न० 01

[3] दैनिक भास्कर समाचार- पत्र, ग्वालियर, शनिवार, दिनाँक 15/01/2022 पेज न० 09

6. **दिल्ली के व्यापारी का बेटा श्याम जाटव कैसे बना डकैत-** श्याम जाटव कहता हैं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। जब मेरी उम्र 2 से 3 वर्ष की थी। तब मेरे पिताजी मुझे दिल्ली लेकर आए। उसके बाद मैं दिल्ली में ही रहने लगा। मेरे पिताजी ने धीरे-धीरे धंधा बढ़ाया। मेरे पिताजी डालचंद ठेकेदार के नाम से जाने जाते हैं। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तभी मेरे रिश्तेदार मुझे 14 मार्च 1996 को कला मंदिर हॉल में पिक्चर दिखाने के लिए ले गए। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली घुमाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बदमाशों के पास छोड़ दिया। उस समय मेरी उम्र 10 से 12 वर्ष थी। मुझे निर्भय गुर्जर की गैंग में ले जाया गया। जहां पर से निर्भय गुर्जर ने मेरे पिताजी से मोटी रकम फिरौती के रूप में मांग की लेकिन मेरे पिताजी रकम देने में असमर्थ रहे और मुझे छुड़ा नहीं पाए और मुझे निर्भय गुर्जर ने डकैत बना दिया।[4]
7. **अपहरण करना-** मानव तस्कर बच्चों का अपहरण करते हैं। फिर उनके माता-पिता से फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूलने की कोशिश करते हैं या उन बच्चों को किसी अन्य मानव तस्कर को बेच देते हैं। कुछ मानव तस्कर रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों से बच्चों का अपहरण करते हैं। लड़कियों को ड्रग्स देते हैं और वयस्क दिखाने के लिए हारमोंस का इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद कम उम्र में ही ऐसी लड़कियों से जबरदस्ती काम करवाते हैं या उन्हें सेक्स रैकेट के रूप में इस्तेमाल करके उनका शोषण करते हैं।

   33 साल पहले अट्ठारह सौ किलोमीटर दूर अगवा हुआ था, याददाश्त के आधार पर गांव का नक्शा बनाया और मां से मिला- चार साल की उम्र में हुआ था मानव तस्करी का शिकार 30 साल पहले बचपन में अगवा हुआ लड़का अपनी मां के पास पहुंच गया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपनी याददाश्त के आधार पर गांव का नक्शा बनाया। इस नक्शे को उसने सोशल मीडिया पर साझा किया जिसकी मदद से वह दोबारा परिवार से मिल सका।

   मामला चीन का है वहां 1989 में हेनान प्रांत में 4 साल के लड़के जिंगवेई का पड़ोस के एक व्यक्ति ने मानव व्यापार के लिए अपहरण कर लिया था। उसने अट्ठारह सौ किलोमीटर दूर जाकर गुआंगडोंग प्रांत में लिखा, एक दंपत्ति को भेज दिया था। इसके बाद परिवार और गांव से संपर्क खत्म हो गया। साल दर साल बीतते रहे पर उसके जीवन से मां और गांव की यादें नहीं मिटी। उसने कई बार अपने उन अभिभावकों से भी अनुरोध किया कि वे गांव जाकर उसकी असली मां से मिला दे। अपने माता पिता से मिलवाने के लिए उसने कीमत भी दी उसके बावजूद भी उसे खरीदने वाले अभिभावक नहीं पसीजे। याददाश्त पर जोर डाला और नक्शा तैयार किया। नक्शा उसके गांव की संरचना से मेल खाता था। किसी ने उसे बताया कि वह इंटरनेट की मदद से अपनी मां और गांव को खोजें। इसके बाद उसने नक्शे को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। साथ ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होने की कहानी भी नक्शे के साथ अटैच कर दी। बीते साल दिसंबर में मां को पता चला कि उसका खोया बेटा अभी भी उसे तलाश रहा है। वीडियो शेयरिंग एप के जरिए जानकारी मिलते ही जिंगवेई अपनी जन्म देने वाली मां से बीते 24 दिसंबर को मिला।[5]

मानव तस्करी के कारण

1. **गरीबी-** अत्यधिक गरीबी के कारण बच्चों के माता-पिता अधिक कर्ज में डूबने के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ होने से अपने बच्चों को तस्करों को बेच देते हैं। गरीबी के कारण उनके माता-पिता अपने बच्चों को ऐसे मानव तस्करों को जो काम करवाने के बहाने से शहर में ले जाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो या तो उनके रिश्तेदार होते हैं या फिर उनके पड़ोसी होते हैं। जब इनके माता–पिता को पाता चलता है तब तक उनके बच्चों को छह सात वर्ष हो गये होते हैं। ऐसे बच्चों से देहव्यापार या बाल मजदूरी करवाते हैं।

[4] यह जानकारी यूटयूब चैनल से मिली है।

[5] समाचार पत्र दैनिक भास्कर, ग्वालियर संस्करण, दिनांक 3 जनवरी 2022, पृष्ठ संख्या 9

2. **अशिक्षा-** अशिक्षा भी मानव तस्करी का एक प्रमुख कारण हैं। कुछ मानव तस्कर अशिक्षित माता-पिता को बहला-फुसलाकर कई प्रकार के प्रलोभन देकर लड़कियों, बच्चों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उनको काम करवाने के बहाने बाहर ले जाते हैं। वहां पर यह मानव तस्कर इन लड़कियों व बच्चों से देहव्यापार, बंधुआ मजदूरी, भीख मांगने जैसा काम उनकी इच्छा के विरुद्ध करवाकर उनका शोषण करते हैं।

नेपाल से भारत लाई गई लड़कियों की मानव तस्करी

नेपाल से प्रतिदिन 50 लड़कियों को तस्करी कर भारत लाया जाता है। उसके बाद उन्हें बेच दिया जाता है। नेपाल से भारत आने वाली लड़कियों की वजह वर्ष 2015 के भूकंप की है। इस भूकंप की तबाही ने नेपाल के हालात इतने खराब कर दिए कि तस्करी वहां के कई लोगों की कमाई का जरिया बन गया और कई लोगों ने इसको अपना व्यापार बना लिया। नेपाल में आए भूकंप में कुछ बच्चों के मां-बाप गुजर गए तो कुछ बच्चे अपने मां-बाप से बिछड़ गए। जिससे उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे भूखे मरने की स्थिति में आ गई। कुछ मानव तस्कर ऐसी लड़कियों को अच्छी नौकरी दिलाने तथा अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर नेपाल से भारत ले आते हैं। इसमें मदद उनके परिवार तथा पड़ोसी भी करते हैं। उसके बाद उन्हें दिल्ली में रखकर वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। फिर उन्हें बेच दिया जाता है या उन्हें मसाज सेंटर पर रखा जाता है। कुछ लड़कियों को आभास होता है कि उन्हें बेच दिया जाएगा। फिर भी वह जोखिम उठाकर भारत आती हैं। जब इन लड़कियों से भारत नेपाल बॉर्डर पर पूछा जाता है कि वे कहां जा रही हैं तो वे इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसका कारण यह भी है कि जो लोग मानव तस्करी करते हैं वह पावरफुल होते हैं। उनके रुतबे से लोग इतने डरते हैं कि सही बात बता नहीं पाते। नेपाल से सड़क के रास्ते भारत आती हैं तो किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती अर्थात नेपाल से भारत आने पर वीजा की आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए नेपाल से लड़कियां भारत आसानी से आ जाती हैं। नेपाल से तस्करी कर भारत लाई गई लड़कियों के पास इस बात का सबूत भी नहीं होता कि उन्हें किसके द्वारा भारत लाया गया है। इसकी वजह से मामला न्यायालय के बाहर ही निपटा दिया जाता है और इन लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता है।

नेपाल भारत बॉर्डर पर तैनात पुलिस लड़कियों से पूछताछ में बोलती है कि वे कहां जा रही हैं? वापस अपने घर चली जाएं फिर भी इन लड़कियों को यकीन नहीं होता। आपको नौकरी का लालच देकर फंसाया जा रहा है। जब यह लड़कियां नेपाल से भारत आ जाती हैं। तब इन्हें दिल्ली में पहाड़गंज, लक्ष्मीगंज, गोविंदपुरी और बाकी छोटे इलाकों में रखा जाता है और ज्यादातर ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर चला रहे नेपाल से आए लोग करते हैं। नेपाल में ऐसी लड़कियां ढूंढी जाती हैं फिर उनसे पूछा जाता है कि नेपाल से बाहर नौकरी पर जाने के लिए कौन जाना चाहता है जो तैयार होती हैं उनकी फोटो खींची जाती हैं। फिर उन्हें अरब में बैठे क्लाइंट को दिखाई जाती है। उनकी शक्ल और खूबसूरती देखकर उनका मोलभाव लगाया जाता है। पैसा तय हो जाने के बाद क्लाइंट उनके वीजा का इंतजार करता है। फिर उन लड़कियों को वहां भेज दिया जाता है। ये लड़कियां ओमान, मलेशिया, सऊदी अरब, क़तर सीरिया और लेबनान जैसे देशों में भेजी जाती है। इन लड़कियों के वहां पहुंचने के बाद उनके एजेंट उन लड़कियों की कोई खोज- खबर नहीं रखते। इस तरह नेपाल से लाई गई लड़कियों की तस्करी होती है।

मानव तस्करी से संबंधित मामला

नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त में अस्पताल संचालनक व सह-प्रबंधक को 10-10 वर्ष की जेल और नियम विरुद्ध तरीके से बच्चा गोद लेने वाली महिला को 3 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना। अस्पताल की आड़ में शिशुओं की खरीद-फरोख्त करने के आरोपी तापेश कुमार गुप्ता और अरुण भदौरिया को दशम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा ने 10-10 साल की सजा दी है और विभिन्न धाराओं में कुल 1.15 - 1.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तापेश कुमार गुप्ता मुरार जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश स्थित पलाश अस्पताल का संचालक है और अरुण भदौरिया सह प्रबंधक है, इसके अलावा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए

बच्चे को गोद लेने के मामले में डबरा निवासी रौनक मखानी को 3 साल की सजा हुई और एक लाख का जुर्माना लगाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि इस मामले में सभी गवाह अपने बयान से पलट गए थे लेकिन डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन ये बात साबित करने में सफल रहा कि अस्पताल में शिशुओं की खरीद-फरोख्त की जाती थी। अस्पताल प्रबंधन ये नहीं बता पाया कि बच्चों के जैविक माता-पिता कौन है।

मुखबिर से मिली सूचना पर दो शिशु मिले थे अस्पताल में

17 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना मुरार जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को सूचना मिली थी। पलाश अस्पताल में नवजात शिशु खरीद-फरोख्त के लिए रखे हैं। पुलिस अस्पताल पहुंची तो दो शिशु एक लड़का एक लड़की मिले, जिनके परिजन नहीं थे। अस्पताल के सह प्रबंधक अरुण भदौरिया ने बताया कि इन दोनों बच्चों को बेचने के लिए रखा गया है। इससे पहले भी लखनऊ के अनुपम कुमार चौहान को एक नवजात शिशु 45000 रुपये में और एक अन्य शिशु डबरा की रिंकी को 70000 रुपये में बेचा जा चुका है।

अवैध संबंध से गर्भवती हुई युवतियाँ रहती थी निशाने पर

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि अस्पताल में ऐसी युवतियां प्रसव के लिए आतीं थी जो अवैध संबंधों के चलते गर्भवती हुई थी। इसका खुलासा तब हुआ जब पूर्व में बेचे गए शिशु की जानकारी जुटाने पुलिस डबरा पहुंची तो यहां पता चला कि रौनक मखानी की बेटी की जैविक मां का नाम पूनम है। जो उस समय अविवाहित थी हालांकि उसने न्यायालय में बच्ची को गोद लेने की बात कही लेकिन इसके प्रमाण के तौर पर वह और रौनक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। अस्पताल में मिले एक अन्य शिशु को आरोपी तापेश कुमार गुप्ता ने अपनी बच्ची बताया लेकिन डीएनए जांच में पता चला कि उसकी मां सोनम है।[6]

नाइजीरिया में मानव तस्करी

नाइजीरिया में मानव तस्करी करने वाले लोग ऐसी लड़कियों की तस्करी करते हैं जिनकी आयु 14 से 17 वर्ष की होती है। उसके बाद इन लड़कियों को जबरदश्ती माँ बनने के लिए मजबूर किया जाता है। जब ये लड़कियां माँ बन जाती हैं उसके बाद उनके बच्चों को ऐसे दम्पति को 4 या 5 लाख रुपये में बेच दिया जाता है जिनके कोई संतान नहीं होती है। यह मानव तस्करी का एक अलग तरीका है।

संबैधानिक उपबन्ध

- राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है जिसके तहत राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए कोई कानून बनाकर सुविधा मुहैया करा सकता है।[7]
- राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का, जो राज्य विधि द्वारा, आधारित करें उपबन्ध करेगा।[8]
- मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इसका कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।[9]
- 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।[10]

---

[6] प्रकरण क्रमांक 6400211/2016 एस. टी. उनमान मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मुरार जिला ग्वालियर बनाम अरुण भदौरिया आदि दिनाँक 31/12/2021

[7] अनुच्छेद 15 (3), भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन, इंदौर

[8] अनुच्छेद 21 क, भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन, इंदौर

[9] अनुच्छेद 23, भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन, इंदौर

[10] अनुच्छेद 24, भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर

- राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।[11]
- राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्प व्यक्तियों की सूचना से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये।[12]
- राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।[13]
- माता-पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।[14]

मानव तस्करी के सम्बंध में भारतीय दण्ड संहिता में किये गए प्राबधान

1. जो कोई किसी अप्राप्तवय को यदि वह नर हो, तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक को संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षक में से व्यपहरण करता है यह कहा जाता है। **"विधिपूर्ण संरक्षक"** के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।[15]
2. जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।[16]
3. जो कोई किसी अप्राप्तवय या अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जाये या किसी अप्राप्तवय/ बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय/ बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जाये या कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय/ बालक को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित करेगा।

" भीख मांगने" से अभिप्रेत है –

I. लोक स्थान में भिक्षा की याचना करना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचना, भाग्य बताने, करतब दिखाने या चीजें बेचने अथबा अन्यथा करना।
II. भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना।
III. भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित।

---

[11] अनुच्छेद 39 (e), भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर

[12] अनुच्छेद 39 (च), भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर

[13] अनुच्छेद 45, भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर

[14] अनुच्छेद 51क (ट), भारत का संविधान, पूजा लॉ हाउस, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर

[15] धारा- 361, भारतीय दण्ड संहिता, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद

[16] धारा- 362, भारतीय दण्ड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

IV. भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तवय का प्रदर्शित के रुप में प्रयोग करना।[17]

4. यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का व्यपहरण/अपहरण इसलिए करता है कि बाद में उसके संरक्षक से फिरौती की मांग करेगा।[18]
5. यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए या उस स्त्री के साथ संभोग करने के लिए विवश करता है तब कहा जाता है कि वह उस स्त्री का व्यपहरण या अपहरण करता है।[19]
6. यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए तैयार करता है या विवश करता है या संभोग करने के लिए उत्प्रेरित करता है तब कहा जाता है कि वह उस लड़की का उपापन करता है।[20]
7. यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से आयात किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए करेगा तब कहा जाता है कि वह विदेश से लड़की का आयात करता है।[21]
8. जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिए,-
   I. धमकियों का प्रयोग करके, या
   II. बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, या
   III. अपहरण द्वारा, या
   IV. कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा, या
   V. शक्ति का दुरूपयोग करके, या
   VI. उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किये गए, परिवहनित, संसृत, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदा देना या प्राप्त करना भी आता है, तब कहा जाता है कि वह दुर्व्यापार का अपराध करता है "शोषण" के अन्तर्गत शारीरिक शोषण का कोई कार्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता के समान व्यवहार, या अंगों का बलात अपसार भी है।[22]
9. 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति वेश्यावृत्ति या सम्भोग करने के लिए किसी व्यक्ति को बेचेगा, भाड़े पर देगा या 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को, किसी अन्य व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता हो को बेचता है या भाड़े पर देता है तब कहा जाता है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचता है।[23]

---

[17] धारा- 363 क, भारती दण्ड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

[18] धारा- 364 क, भारती दण्ड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

[19] धारा- 366, भारतीय दण्ड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

[20] धारा- 366 क, भारतीय दण्ड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

[21] धारा-366 ख, भारतीय दण्ड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

[22] धारा- 370 भारतीय दण्ड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

[23] धारा- 372. भारतीय दण्ड संहिता, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

10. 18 वर्ष से कम आयु की नारी को इसलिए खरीदता है या भाड़े पर लेता है कि उस नारी को वेश्यागृह में उपयोग किया जाता है तब कहा जाता है कि वह उस नारी को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदता है।[24]

विधायिका द्वारा पारित किए गए कानून जिनमें मानव तस्करी से संबंधित प्रावधान है

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम,1956
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बंधुआ मजदूरी प्रथा (समापन) अधिनियम, 1976
- बाल श्रम (निषेध) अधिनियम, 2016
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

मानव तस्करी रोकथाम विधेयक, 2021

महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिला एवं बालको की तस्करी रोकथाम और पुनर्वास विधेयक 2021 पेश किया है जो अभी तक अधिनियम नहीं बना है। यदि यह अधिनियम बन जाता है तो मानव तस्करी को रोकने में काफी कारगर होगा। यदि यह कानून बन जाता है तो भारत के भीतर और बाहर सभी नागरिकों पर लागू होगा और महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने में काफी मददगार सिद्ध होगा। इस कानून में तस्करी से संबंधित सभी प्रावधानों का समावेश किया गया है। इस कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान और एक लाख रुपये तक का जुर्माना तथा अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और तस्करी के पैसे से खरीदी गई संपत्ति को ज़ब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। अभी तक मानव तस्करी से संबंधित अलग से कोई कानून नहीं बना है बल्कि मानव तस्करी से संबंधित प्रावधानों का कई कानूनों में उल्लेख किया गया है।

तालिका 1- मानव तस्करी की घटनाओं के आधार पर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची

क्रमांक	राज्य	वर्ष 2012 में अपराध सिद्ध हुये मामलों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	221
2	तमिलनाडु	153
3	केरल	105
4	कर्नाटक	100
5	पश्चिमबंगाल	20
6	हरियाणा	20
7	महाराष्ट्र	20
8	विहार	20
9	छत्तीसगढ़	20
10	राजस्थान	20
11	आंध्रप्रदेश	13
12	पंजाब	11
13	मध्य प्रदेश	10
14	सिक्किम	4

[24] धारा – 373. भारतीय दण्ड संहिता, सेंट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद

15	उत्तराखंड	3
16	नागालैंड	2
17	झारखण्ड	2
18	मिज़ोरम	2
19	गोवा	2
20	गुजरात	2
21	असम	1
22	उड़ीसा	1
23	जम्बू और कश्मीर	0
24	त्रिपुरा	0
25	अरुणाचल प्रदेश	0
26	हिमाचल प्रदेश	0
27	मणिपुर	0
28	मेघालय	0
केन्द्र शासित प्रदेश		
1	दिल्ली	32
2	पॉन्डिचेरी	21
3	लक्षद्वीप	0
4	चंडीगढ़	0
5	अंडमान निकोबार	0
6	दादर और नागर हवेली	0
7	दमन और द्वीप	0

स्रोत- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

तालिका 2- झारखण्ड राज्य में वर्ष 2015 से 2019 के बीच में हुये मानव तस्करी से सम्बंधित अपराध और दोषसिद्ध हुये अपराधों की सूची

क्र.	वर्ष	प्रथम सूचना रिपोर्ट	दर्ज मामले	निपटे मामले	लम्बित मामले	मानव तस्करी में छोड़े गये व्यक्ति			मानव तस्करी में पकड़े गये व्यक्ति		कुल
						पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	
1	2015	185	124	29	32	28	187	215	118	54	172
2	2016	96	53	27	16	34	104	138	53	27	180
3	2017	83	50	16	17	22	98	120	53	30	83
4	2018	79	42	9	28	38	116	154	48	16	64
5	2019	47	12	3	32	9	80	89	28	12	40
6	कुल	490	281	84	125	131	585	716	300	139	539

स्रोत- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

तालिका 3- मानव तस्करी के मामले- 2020

स. क्र.	राज्य	दर्ज मामले			मध्य वर्ष अनुमानित संख्या लाख में	संज्ञेय अपराध की दर	आरोप पत्र दाखिले का प्रतिशत
		2018	2019	2020			
1	आंध्रप्रदेश	240	245	171	526.0	0.3	99.2
2	अरुणाचल प्रदेश	3	0	2	15.2	0.1	100.0
3	असम	308	201	124	347.9	0.4	69.0
4	बिहार	127	106	75	1219.0	0.1	93.4
5	छत्तीसगढ़	51	50	38	292.4	0.1	77.4
6	गोवा	55	38	17	15.5	1.1	95.2
7	गुजरात	13	11	13	691.7	0.0	90.9
8	हरियाणा	34	15	14	392.1	0.0	66.7
9	हिमाचल प्रदेश	6	11	4	73.6	0.1	50.0
10	झारखंड	140	177	140	381.2	0.4	59.8
11	कर्नाटक	27	32	13	665.0	0.0	95.2
12	केरल	105	180	166	353.7	0.5	93.3
13	मध्यप्रदेश	63	73	80	837.6	0.1	97.3
14	महाराष्ट्र	311	282	181	1236.8	0.1	99.4
15	मणिपुर	3	9	6	31.4	0.2	0
16	मेघालय	24	22	1	32.6	0.0	0
17	मिज़ोरम	2	7	0	12.1	0.0	0
18	नागालैण्ड	0	3	0	21.8	0.0	100.0
19	ओड़िशा	75	47	103	454.7	0.2	85.3
20	पंजाब	17	19	17	301.8	0.1	80.0
21	राजस्थान	86	141	128	786.1	0.1	0
22	Sikkim	1	0	1	6.7	0.1	0
23	तमिलनाडु	8	16	11	761.7	0.1	100.0
24	तेलंगाना	242	137	184	375.4	0.5	98.4
25	त्रिपुरा	2	1	1	40.4	0.0	100.0
26	उत्तरप्रदेश	35	48	90	2289.3	0.0	100.0
27	उत्तराखंड	29	20	9	113.1	0.1	86.7
28	पश्चिम बंगाल	172	120	59	977.2	0.1	57.4
कुल योग		2179	2111	1651	13152	0.1	85.8

केन्द्रशासित प्रदेश							
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	4.0	0.0	100.0
2	चंडीगढ़	0	2	2	12.0	0.2	100.0
3	दादर नगर हवेली और दमन द्वीप	0	0	2	10.4	0.2	100.0
4	दिल्ली	95	93	53	203.2	0.3	67.5
5	जम्मू कश्मीर	1	0	2	133.4	0.0	100.0
6	लद्दाख	0	0	0	0.3	0.0	0
7	लक्षद्वीप	0	0	0	0.7	0.0	0
8	पुडुचेरी	0	2	4	15.5	0.3	0
	कुल योग	99	97	63	382.1	0.2	66.7
	कुल योग सम्पूर्ण भारत	2278	2208	1714	13533.9	0.1	85.2

स्रोत- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

तालिका 4- तस्करी से पीड़ित लोगों का ब्यौरा- 2020

स.क्र.	राज्य	18 वर्ष से नीचे			18 वर्ष से ऊपर			योग		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्रप्रदेश	7	16	23	8	204	212	15	220	235
2	अरुणाचल प्रदेश	4	9	13	0	0	0	4	9	13
3	असम	23	61	84	7	86	93	30	147	177
4	बिहार	75	48	123	2	54	56	77	102	179
5	छत्तीसगढ़	16	19	35	39	36	75	55	55	110
6	गोवा	0	1	1	0	29	29	0	30	30
7	गुजरात	61	4	65	14	8	22	75	12	87
8	हरियाणा	1	6	7	1	10	11	2	16	18
9	हिमाचल प्रदेश	2	0	2	0	11	11	2	11	13
10	झारखंड	16	98	114	37	150	187	53	248	301
11	कर्नाटक	1	1	2	7	32	39	8	33	41
12	केरल	28	156	184	2	33	35	30	189	219
13	मध्यप्रदेश	15	64	79	0	53	53	15	117	132
14	महाराष्ट्र	5	44	49	1	462	463	6	506	612

15	मणिपुर	2	2	4	1	5	6	3	7	10
16	मेघालय	0	1	1	0	1	1	0	2	2
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओड़िशा	78	81	159	376	206	582	454	287	741
20	पंजाब	59	6	65	2	18	20	61	24	85
I21	राजस्थान	762	53	815	0	3	3	762	56	818
22	सिक्किम	0	2	2	0	1	1	0	3	3
23	तमिलनाडु	8	16	24	7	6	13	15	22	37
24	तेलंगाना	24	8	32	14	393	407	38	401	439
25	त्रिपुरा	1	1	2	0	1	1	1	2	3
26	उत्तरप्रदेश	0	61	61	0	119	119	0	180	180
27	उत्तराखंड	0	9	9	0	5	5	0	14	14
28	पश्चिम बंगाल	9	44	53	1	17	18	10	61	71
कुल योग		1197	811	2008	519	1943	2462	1716	2754	4470
केन्द्रशासित प्रदेश										
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	2	2	0	2	2
2	चंडीगढ़	1	2	3	0	0	0	1	2	3
3	दादर नगर हवेली	0	2	2	0	0	0	0	2	2
4	दिल्ली	178	24	202	15	7	22	193	31	224
5	जम्मू और कश्मीर	1	1	2	0	0	0	1	1	2
6	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	पुडुचेरी	0	5	5	1	0	1	1	5	6
	कुल योग	180	34	214	16	9	25	196	43	239
	कुल योग सम्पूर्ण भारत	1377	845	2222	535	1952	2487	1912	2797	4709

स्रोत- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

झारखंड में हर दस लाख की आबादी पर 12,700 लोग मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। इनमें 80 फ़ीसदी से ज्यादा लोग इस चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। इस मामले में झारखंड देश में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम है। यहां हर दस लाख पर 57,400 लोगों की तस्करी होती है। दूसरी तरफ सबसे बेहतर स्थिति अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार दीप समूह और नागालैंड की है। यहां एक भी मानव तस्करी के मामले सामने नहीं आए हैं।

नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति दस लाख की आबादी में औसत 0.46 फ़ीसदी यानी 4600 लोग मानव तस्करी का शिकार होते हैं। वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 1.27 फ़ीसदी है यानी हर साल 12,700 लोग इसके शिकार होते हैं। इस प्रकार राज्य का औसत राष्ट्रीय औसत से 0.81 फ़ीसदी ज्यादा है। ऐसे में मानव तस्करी को लेकर राज्य में चलाए जा रहे अभियान पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राज्य में संथाल, सिमडेगा, गुमला, खूटी व अन्य मामलों में मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं। यहां दलाल बच्चों के साथ साथ लड़कियों को भी बाहर काम दिलाने के नाम पर बहला-फुसलाकर ले जाते हैं। इनसे महानगरों में काम करवाया जाता है। कुछ बच्चों को राज्य के दूसरे शहरों में भी काम कराया जाता है। आये दिन किसी न किसी रेलवे स्टेशन से पुलिस की टीम तस्करी के लिए ले जाए जा रहे बच्चों को रेस्क्यू भी करती है।[25]

तालिका 5- शीर्ष 10 राज्य जहां हर 10 लाख पर सबसे ज्यादा तस्करी हुई

क्रमांक	राज्य	संख्या
1	मिजोरम	57,400
2	गोवा	36,800
3	दिल्ली	22,200
4	झारखण्ड	12,700
5	राजस्थान	12,100
6	तेलंगाना	11,800
7	मणिपुर	10,300
8	असम	9,500
9	आंध्र प्रदेश	6,500
10	महाराष्ट्र	5,500

स्रोत- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

[25] नीति आयोग की सस्तेनेबल डेबल्पमेंट गोल की रिपोर्ट के अनुसार

तालिका 6- शीर्ष 10 राज्य जहां हर 10 लाख पर सबसे कम तस्करी हुई

क्रमांक	राज्य	संख्या
1	जम्मू कश्मीर	100
2	उत्तर प्रदेश	300
3	पंजाब	300
4	गुजरात	300
5	हरियाणा	800
6	तमिलनाडु	2800
7	उत्तराखण्ड	3600
8	नागालैंड	0
9	अरुणाचल प्रदेश	0
10	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0

स्रोत- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

निष्कर्ष

मानव तस्करी की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है। मानव तस्करी पूरे विश्व में एक महामारी की तरह फैल रही है। मानव तस्करी महिलाओं और बच्चों का व्यापार है जिसमें तस्कर महिलाओं व बच्चों को किसी अन्य तस्कर को पैसों के लालच में आकर बेच देते हैं। उसके बाद तस्करों द्वारा उन बच्चों और महिलाओं का शोषण किया जाता है। शोषण का अर्थ है बच्चों और महिलाओं की इच्छा के विरूद्ध कार्य करवाना अर्थात् बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाना, भीख मंगवाना, महिलाओं से देहव्यापार करवाना जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं।

मानव तस्करी की समस्या का बढ़ने का कारण यह है कि अभी तक मानव तस्करी से संबंधित कोई कानून सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है कि जिससे तस्करों को दंडित किया जा सके। इसलिए तस्करों का जाल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ हैं जहां पर यह मानव तस्करी आसानी से करते हैं।

जब बच्चे और महिलाएं गायब हो जाती हैं। तब उनके माता-पिता पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती है। उनको यह कहकर भगा दिया जाता है कि आपकी लड़की या बच्चा घर से भाग गया होगा या दर्ज की जाती है तो किसी अन्य कानून के तहत दर्ज की जाती है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने का मुख्य कारण यह भी है कि मानव तस्करी से संबंधित भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई कानून पारित ही नहीं किया गया है जिसके तहत मानव तस्करों की रिपोर्ट दर्ज की जा सके।

मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार को समय-समय पर शिविर लगाकर लोगों को जागृत करना चाहिए और माता-पिता को भी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास या पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति बार-बार आता जाता दिखाई देता है तो उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए और शंका होने पर पुलिस को तुरंत उसकी सूचना देना चाहिए। यदि मानव तस्करी को रोकना है तो सरकार को मानव तस्करी के संबंध में कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए और मानव तस्करी से संबंधित कानून में तस्कर के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तस्कर को तुरंत जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और तस्कर के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तस्कर द्वारा तस्करी से प्राप्त की गई अर्जित संपत्ति को ज़ब्त करने का प्रावधान भी होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में की थी जिसके माध्यम से कई बच्चों को ऐसी संस्थाओं से मुक्त कराया है जहां उन बच्चों का शोषण किया जा रहा था। इस अभियान के लिए कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।